भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 896

दिनांक 21.11.2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

जल जीवन मिशन

896. श्री डी॰ एन॰ वी॰ सेंथिलकुमार एस.:
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:
श्री विनायक भाऊराव राऊत:
श्री मोहनभाई कल्याणजी कुंडारिया:
श्री हेमन्त पाटिल:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जल जीवन मिशन (जेजेएम) की प्रमुख विशेषताएं और उद्देश्य क्या हैं, तथा इसके कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;
(ख) क्या सरकार 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण आवासों को प्रति व्यक्ति 43–55 लीटर जल प्रदान करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रयोजना हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और उक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;
(ग) मिशन के आरंभ से इसके अंतर्गत कुल कितनी निधि की मंजूरी दी गई है;
(घ) क्या सरकार ने विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक आवास में नल के द्वारा पेयजल प्रदान करने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) सरकार द्वारा प्रत्येक ग्रामीण आवास में पाइपयुक्त जल लाने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति

(श्री रतन लाल कटारिया)

(क) से (घ) जल जीवन मिशन (जेजेएम) का लक्ष्य वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) के जरिए 55 लिटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन (एलपीसीडी) की दर से पीने योग्य जल उपलब्ध कराना है। जैसा कि राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों ने सूचित किया है, वर्ष 2024 तक 14.57 करोड़ ग्रामीण परिवारों को एफएचटीसी उपलब्ध कराया जाना है जिसके लिए जेजेएम के अंतर्गत 5 वर्षों की अवधि के लिए 3.60 लाख करोड़ रुपए का अनुमानित परिव्यय परिकल्पित है। वर्ष 2019-20 के लिए 10000.66 करोड़ रु. का बजटीय आबंटन किया गया है और पात्र राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को पहली किस्त जारी कर दी गई है।

(ड.) ग्रामीण जल आपूर्ति के लिए, भारत सरकार राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराकर राज्यों के प्रयासों को पूरा करती है। जेजेएम के आरंभ होने के बाद, जेजेएम के विभिन्न पहलुओं और कार्यान्वयन की प्रविधियों पर विचार-विमर्श करने के लिए नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के ग्रामीण जल आपूर्ति प्रभारी मंत्रियों का एक सम्मेलन और बाद में 5 क्षेत्रीय कार्यशालाएं आयोजित की गईं। इसके अलावा, राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों के साथ कार्यक्रम की नियमित समीक्षा भी आयोजित की जाती है।